

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] No. 737] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

सा.का.िन. 1115(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

- 2. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा <u>is-tpt@gov.in</u>; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।
- 3. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

- (i) नियम 4 में, मद सं. 2 और उससे संबद्ध प्रविष्टि से पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"1क. आधार कार्ड.":
- (ii) नियम 14 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 4" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे:
- (iii) नियम 17 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 8" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे;
- (iv) नियम 18 में, उपनियम (1) में शब्द और अंक "प्ररूप 9" के स्थान पर शब्द और अंक "प्ररूप 2" रखे जाएंगे;
- (v) "प्ररूप 2" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 2"

[नियम 10, 14(1), 17(1) और 18(1) देखें]

लर्नर अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति या नए श्रेणी के वाहन को जुड़वाने या चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण/नाम/पते में परिवर्तन के लिए आवेदन का प्रारूप

	<u> </u>	
भनुज्ञाप	न अधिकार	Τ,

पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए स्थान (ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो अपलोड करें जोकि 50 केबी से अधिक आकार का न हों

मैं निम्नलिखित के लिए आवेदन करता हूं (कृपया एकल/बहुल सेवा, जो भी अ	ानुप्रयोज्य हो, पर सही का निशान
(√) लगाएं)	
नई लर्नर अनुज्ञप्ति	
नई चालन अनुज्ञप्ति	
चालन अनुज्ञप्ति में मोटर यान के वर्ग को जोड़ना	
चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण	
अनुलिपि चालन अनुज्ञप्ति	
चालन अनुज्ञप्ति के पते में परिवर्तन/शुद्धिकरण	
चालन अनुज्ञप्ति के नाम में परिवर्तन/शुद्धिकरण	

1.	यानों की श्रेणी (सीओवी): नई लर्नर अनुज्ञप्ति/नई चालन अनुज्ञप्ति के लिए अनु	प्रयोज्य
बिना	ा गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूओजी)	and the first

*नोट 1	
गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूजी) * ^{नोट 1}	
हल्का मोटर यान (गैर परिवहन) (एलएमवी एनटी) * _{नोट} 1	
अविधिमान्य कैरिज (दिव्यांग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यान)	
हल्का मोटर यान - परिवहन ^{* नोट 2}	
मध्यम/भारी माल या यात्री यान - परिवहन ^{* नोट 2}	
ई-रिक्शा	
ई-कार्ट	
रोड रोलर, हार्वेस्टर, अन्य जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में	
शामिल न हों जैसेकि एक्सकवेटर, फोर्क लिफ्ट, ट्रेलर्स,	
क्रेन युक्त यान, कृषि ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर, टो-ट्रक्स,	
ब्रेकडाउन वैन एवं रिकवरी यान, निर्माण उपस्कर यान,	
आदि ।	

*नोट 1: गैर-परिवहन वाहनों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइड कार के साथ या मोटर साइकिल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए तीन पहिया वाहन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार आदि शामिल हैं तथा किसी हल्के मोटरयान (एलएमवी) पर लदान रहित भार 7,5000 किग्रा तक है।

*नोट 2: परिवहन यान से किराए या पारितोषिक हेतु यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले अनुकूलित कोई मोटर यान अभिप्रेत है और इसमें मैक्सकैब, मोटरकैब, अनुबंध कैरिज, और स्टेज कैरिज वाहन, एक माल कैरिज, एक शैक्षणिक संस्था बस या मोटर वाहन जिसमें चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने और आम तौर पर इस तरह के वाहन के मालिक द्वारा उनके व्यापार या व्यवसाय के संबंध में, या उनके द्वारा किराए पर या पारितोषिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शामिल है। किसी भी लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) का गैर लदान वजन वजन 7500 किलोग्राम तक है। मध्यम मोटर वाहन का गैर लदान वजन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक और 12,000 किलोग्राम से कम है। भारी मोटर वाहन का गैर लदान वजन वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक है। [संदर्भ: मोटर वाहन अधिनियम, 1 9 88 के धारा 2 (7), 2 (11) 2 (14), 2 (22), 2 (25) और 2 (35), 2 (40)].

-		0 4		7. 7.
2.	आवदक का	व्यक्तिगत ब्यौर	रा (स्पष	ट अक्षरा म)
	The state of the s		1 1	

भूगार मं	Call 125 P 1	NISC TO THE				THE RESERVE
आधार सं						
प्रथम नार	н		मध्य नाम			आखिरी नाम
लिंग (√ इंगित करें)	पुरुष 🗆 स्त्री	ट्रांसजेंडर	सजेंडर जन्म की तार (दिनांक/माह			
शैक्षिक अर्हता				रक्त समूह		1 19
ई-मेल (वैकल्पिक)				मोबाइल सं		
दूरभाष सं. (वैका	ल्पक)					
4. पता (संलग्न प		अनुज्ञप्ति/नए न मान पता (अनुज्ञ			स्थायी पता	मले में) (यदि वर्तमान पते से
			No. 1		भिन्न हो)	
मकान/डोर/फ्लैट	सं.					
गली/मुहल्ला/पुरि थाना	लेस					
अवस्थान/पहचा चिह्न	न	- 3.4				
गांव/नगर						100
उप-जिला/तालुव	त/मंडल					
जिला						I and a second
राज्य						
पिन कोड		49.		1 1 2	RC TP	7 7 14

_	-0 - 6 3		2 2 2 2		- 0 00 1	~
5	पारवद्गन प्रवंग म	यान का श्रणा	का जाडन क	अनराध के मामल मे	कृपया निम्नलिखित को	भर
••	11,16,411			-13 11-11 11 11	Transfer and the	

चालन स्कूल का नाम			
चालन स्कूल में नामांकन सं.			
चालन स्कूल में नामांकन की तारीख			
चालन स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र सं.			
चालन स्कूल द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख			
चालन स्कूल में प्रशिक्षण की अवधि	तारीख से	तारीख तक	

6. वर्तमान अनुज्ञप्ति का विवरण (लर्नर/स्थायी)

अनुज्ञप्ति सं.			
यान (यानों) की श्रेणी			
अनुज्ञापन प्राधिकरण का नाम जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है			
वैधता अवधि	तारीख से	तारीख तक	

7. संलग्न दस्तावेजों की सूची (कृपया अनुलग्नक के संदर्भ में √ लगाएं)

घोषणा

मृत्यु होने के मामले में मैं अपने अंग/ऊतक को दान करने का इच्छुक हूं।

हां/नहीं

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और असली हैं। मैं यह भी कथन करता हूं/करती हूं कि मुझे चालन अुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित किया गया है/नहीं किया गया है।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उप-धा	रा (2) के अं	तर्गत घोषणा	
श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/प्	<u> यु</u> त्री	1
जो अव्यस्क हैं, मेरी देख-रेख में हैं तथा मैं उसके चालन का उत्तरदायित को मैं उसके चालन के लिए उत्तरदायित्वों को स्वीकार नहीं करता हूं तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करूंगा । उसके द्वारा लर्नर अनुज्ञप्ति देता हूं।	मैं अनुज्ञपि	त के रद्दकरण के लि	ए लिखित में
माता-पिता/अभिभावक का नाम:			
आवेदक के साथ संबंध:		0 10	
केवल कार्यालय उपयोग के लि		ता-पिता/अभिभावक	क हस्ताक्षर
 आवेदक, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्स छूट प्राप्त है; लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है। 	ना प्रमाणपत्र		हां /नहीं
2. आवेदक, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11 के उप-निय परीक्षण से छूट प्राप्त है; लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।	म (2) के उ		हां /नहीं
3. मामलों नामत: यातायात संकेतकों, यातायात सिग्नलों, चालक के वाहन द्वारा किसी दुर्घटना के समय उसके कर्तव्यों, या चालन करते समय रखे जाने वाले दस्तावेजों आदि की उपयुक्त जानकारी और समझ	परीक्षण की तारीख	परिणाम (√)	परीक्षण प्राधिकरण
का पता लगाने के लिए प्रारंभिक परीक्षण । केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 11 का उप-नियम (1)		उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/ अनुपस्थित/छूट- प्राप्त	
4. चालन परीक्षण (केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 15)	परीक्षण की तारीख	परिणाम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	9-
लर्नर अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति जारी	वीकृत 🗀 _उ	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी	के हस्ताक्षर

अनुलग्नक

आवदक द्वारा प्रस	नुत ।कए जान	वाल या अपलाड किए जान वाल दस्तावजा का सूचा	
पते और आयु का	प्रमाण । किर्स	ो एक का चयन करें यदि पते और आयु का प्रमाण समान है ।	
 आधार कार्ड निर्वाचन ना जीवन बीमा पासपोर्ट 			
 विद्यालय प्रग 	गणपत्र		
 जन्म प्रमाणप 			
		ानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी वेतन स्लिप	님
	लक मजिस्ट्रेट	या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तैयार	
9. आवेदक की अ	ायु के संबंध र	में शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा 🤍	inita.
व्यवसायी द्वारा ज	<mark>गरी प्रमा</mark> णपः	7	Ш
10. राज्य सरका	र द्वारा यथा-	विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज अथवा दस्तावेजों	
यदि लागू हों, तो	संलग्न किए	जाने वाले या अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज	
		लेए प्ररूप-1 में स्वत:घोषणा	
के लिए		प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए यदि आवेदक नवीकरण हा है तथा आवेदक 40 वर्ष से अधिक आयु का है या परिवहन अनुज्ञप्ति हा है ।	
		न या संस्थान द्वारा जारी चालन प्रमाणपत्र	
4. अव्यस्क	आवेदक की द	शा में माता-पिता या अभिभावक की घोषणा	
5. फोटो			
6. पासपोर्ट के लिए)	और वीजा क	ा विधिमान्य प्रमाण (केवल अंतरराष्ट्रीय चालन परमिट	
	ागरिकों के म का प्रमाण	ामले में आवास-प्रमाणपत्र के साथ भारत में विधिक	
	का त्रमाण गावेज, यदि व	ਹੋਏ ਜੇ	
		त्र हा खो गई थी या विकृत या विरुपित या क्षतिग्रस्त हुई थी, तो खो	
जाने की	पुलिस शिका	यत की प्रति	
10. नाम में प	रिवर्तन हेतु ((क) वर्तमान नाम	
	(ख)	परिवर्तित किया जाने वाला नाम	
	(ग)	संलग्न दस्तावेज:	
		(i) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष तैयार किया गया शपथ पत्र	
		(ii) विवाह प्रमाणपत्र	
		(iii) समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति	

- (vi) "प्ररूप 4" का लोप किया जाएगा;
- (vii) प्ररूप 6 में "जारी करने की तारीख.....", प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अंग/ऊतक दाता

हां/नहीं";

(viii) "प्ररूप 7 में", "जारी करने की तारीख......", प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अंग/ऊतक दाता

हां/नहीं" ;

(ix) "प्ररूप 8" और "प्रारूप 9" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11012/27/2010-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ), दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1115(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi - 110 001 or emailed at mail id: js-tpt@gov.in;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be duly considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -
 - (i) in rule 4, before item number 2 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:
 "1A. Aadhaar Card,";

To,

Space for passport size photograph (Upload the photo

for online

- (ii) in rule 14, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 4", the word and figure "Form 2" shall be substituted;
- (iii) in rule 17, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 8", the word and figure "Form 2" shall be substituted;
- (iv) in rule 18, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 9", the word and figure "Form 2" shall be substituted;
- (v) for "Form 2", the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM2

[See rules 10, 14(1), 17(1) and 18(1)]

FORM OF APPLICATION FOR THE LEARNER'S LICENCE OR DRIVING LICENCE OR ADDITION OF A NEW CLASS OF VEHICLE OR RENEWAL OF DRIVING LICENCE /CHANGE OF ADDRESS OR NAME

The Licencing Authority	application of the size not more than 50KB)
Services applying for (Please Tick $$ mark against single/multiple service, where	ever applicable)
Issue of New Learner's Licence	

Issue of New Learner's Licence	
Issue of New Driving Licence	
Addition of Class of Vehicle to Driving Licence	
Renewal of Driving Licence	
Duplicate Driving Licence	
Change / Correction of Address in Driving Licence	
Change / Correction of Name in Driving Licence	

1. Class of Vehicles (COV): Applicable for New Learner's Licence /New Driving Licence				
Motor Cycle Without Gear (MCWOG) *note 1				
Motor Cycle With Gear (MCWG) *note 1				
Light Motor Vehicle Non Transport(LMV NT) *note 1	STATE OF STA			
Invalid Carriage (vehicles for use byDivyang)				
Light Motor Vehicle Transport*note 2				
Medium / Heavy Goods or Passenger Vehicle Transport *note 2				
E-Rickshaw				
E-Cart				
Others which is not covered in the above categories like Road Roller, Harvester, Excavator, Fork lift, Trailers, Crane mounted vehicles, Agricultural tractor and power tiller, Tow trucks, Breakdown Van and Recovery vehicles, Construction equipment vehicles etc.				

*Note 1: Non - Transport Vehicles include Motor Cycle with or without side car for personal use, Mopeds, Three Wheeled vehicles for personal use, Motor Car for personal use etc. and the unladen weight on any Light Motor Vehicle (LMV) is upto 7,500 kilograms.

*Note 2: Transport vehicle means a motor vehicle used or adapted to be used for the carriage of passengers for hire or reward, and includes a maxicab, motorcab, contract carriage, and stage carriage vehicle, a goods carriage, an educational institution bus or a motor vehicle to carry more than six persons excluding the driver and ordinarily used by or on behalf of the owner of such vehicle for purpose of carrying persons for, or in connection with, his trade or business otherwise than for hire or reward. The unladen weight on any Light Motor Vehicle (LMV) is upto 7,500 kilograms. The unladen weight of Medium Motor Vehicle is over 7500 kilograms and below 12,000 kilograms. The unladen weight of Heavy Motor vehicle exceeds 12,000 kilograms. [Reference sections 2(7), 2(11) 2(14), 2(22), 2(25) and 2(35), 2(40) of the Motor Vehicles Act, 1988].

Aadha	ar No.					
First Name		Midd	Middle Name		Last Name	
Gender (Tick √)	Whate Stemate Strain		Transgender	Date of Birth: (dd/mm/yyyy)		
Educational Qualification				Blood Group		
Email (optional)	ail			Mobile num	ber	
Landline Numb	er (optional)					1
3. Name of(Ti	ck√) F	ather	Mother	Husband	Guardian	
	First Name		Middle	ldle Name		Last Name
		Present A	ddress (shall be printed	on Licence)		Address (Only if different Present Address
House/Door/Fla	nt No.				T. Holly	
Street/Locality/ Station	Police			40	A.	v 12 k
Location/Landr	nark	- Mari			3 (pin	1958 N
Village/Town					The same	- 4
SubDist/Taluk/	Mandal					- 4 April 1
District				1 100		
State						
Pincode	alles Broke				5	
F 1		1314 - 6	Class of Waltaland			1 4L - C-11
Driving School		adition of	a Class of Vehicle in	ransport Cate	gory, piease fil	the following:
•						

1.	The applicant is exempted from production of a medical certificate under Rule 6 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;	
	Learner's licence may be issued.	YES /NO
2.	The applicant is exempted from the Preliminary Test under sub-rule (2) of Rule 11 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;	
	Learner's licence may be issued.	YES /NO

3.	Preliminary Test to check adequate knowledge and	Date of	Result (√)	Testing
----	--	---------	------------	---------

	understanding of the matters namely traffic sighs, traffic signals,	Test		Authority
	duties of driver in case of his vehicle being involved in an accident, or documents to be carried while driving etc., Sub-rule (1) of Rule 11 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989		Pass / Fail / Absent/ Exempted	
4.	Driving Test (Rule 15 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989)	Date of Test	Result Pass / Fail	

The Learner's licence / Driving Licence is Issued ____

Signature of licensing authority (or other person authorised in this behalf)

Refused ___

ANNEXURE

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED OR UPLOADED BY THE APPLICANT

	Proof of Address and Age. Select only one if the proof is common for Address	ess and Age
1.	Aadhar Card	
2.	Electoral Roll	
3.	Life Insurance Policy	
4.	Passport	
5.	School Certificate	
6.	Birth Certificate	
7.	Pay slip issued by any office of the State /Central Government or a local body	
8.	Affidavit sworn before an Executive Magistrate or Notary Public or First Class Judicial Magistrate	
9.	A certificate granted by a Registered Medical Practitioner not below the rank of Civil Surgeon as to the age of the applicant	
10.	Any other document or documents as may be specified by State Government	
Oth	er documents to be enclosed or uploaded if applicable	
1.	Self Declaration for Physical Fitness in Form - 1	
2.	Medical Certificate in Form- 1Ato be provided only if the applicant is applying	
	for renewal and is above 40 years of age or applying for Transport Licence	
3.	Driving Certificate issued by Driving School or Establishments	
	in Form 5	
4.	Parent or Guardian Declaration in case of applicant who is a minor	
5.	Photograph	
6.	Valid proof of passport and visa (for International Driving Permit only)	- 🗆
7.	Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case	
	of Foreigners	
8. 9.	Other documents, if any. In case the Driving Licence was lost or mutilated or defaced or damaged,	
	Lost. The copy of police complaint made	
10.	For change of name (a) Existing name	
	(b) Name to be changed as	
	(c) Documents enclosed:	
	(i) Affidavit sworn before a First Class Judicial Magistrate or a Notary Public	

	(ii) Marriage certificate				
	(iii) Copy of newspaper advertise	ement	7		
(vi)	"Form 4" shall be omitted;				
(vii)	in Form 6, below the entry "Date of iss	ue, the follow	ring shall be inserted, namely:-		
	"Organ/ tissue donor	YES / NO";			
(viii)	in "Form 7", below the entry "Date of i	issue", the follow	owing shall be inserted, namely:-		
	"Organ/ tissue donor	YES / NO";			
(ix)	"Form 8" and "Form 9" shall respectively, be omitted.				
			[F. No. RT-11012/27/2010-MVL]		
			ABHAY DAMLE, Jt. Secy.		
Note:	The principal rules were published in the notification number G.S.R. 590(E), of G.S.R(E),dated the				

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.01 22:43:01 +05'30'

